परम अग्रता

क्रमांक 41/18/2007–5पोल

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

Through RA
16/2/16
U.S. Political

1. सभी मण्डलायुक्त, हरियाणा ।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा ।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक/रेवाडी/हिसार तथा करनाल, हरियाणा ।
4. सभी पुलिस अधीक्षक व आयुक्त, फरीदाबाद, गुडगांव व अंम्बाला हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 16 फरवरी, 2016.

विषयः– कानून व व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था सुव्यस्थित रखने के लिए तथा सरकारी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी कानून–व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए ।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा के सभी जन–सुविधा व सुरक्षा से सीधे जुडे कार्यालयों विशेषकर बिजली, परिवहन, जन–स्वास्थ्य, सिचांई, वन, लोक निर्माण विभाग (भवन व सडके), पुलिस में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी (केवल अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर) दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें । यह निर्देश आगामी आदेशों तक लागू रहेगे ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव, राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूनचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

Through RA
2.
16/2/16
U.S. Politics

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।
2. प्रशासनिक सचिव, विद्युत/ परिवहन/ लोक निर्माण (भवन व सडके)/ सिचांई/ गृह/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ वन विभाग ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ।

अवर सचिव, राजनैतिक
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्तायुक्त हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।
2. प्रशासनिक सचिव, विद्युत/ परिवहन/ लोक निर्माण (भवन व सडके)/ सिचांई/ गृह/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ वन विभाग ।
3. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ।

अशाः कमांक 41/18/2007–5पोल दिनांक 16 फरवरी, 2016.